न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 98/2019

1. रामचन्द्र पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।

--वादीगण--

बनाम

1. गोपी राम पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
2. रामकिशन पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
3. मांगी लाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
4. गोमी पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
5. राधा पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
6. कुन्ता पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
7. शानिया उर्फ सूचकी पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
8. इन्दिरा उर्फ बाईली पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
9. शीला पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व एवं उपपंजीयक महोदय, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता --वादीगण की ओर से--

श्री पलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता --प्रतिवादीगण की ओर से-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 151 के मु.न. 22 में 2.252 हैक्टर, मु.न. 23 में 1.518 हैक्टर, मु.न. 78/13 में 0.025 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 0.581 हैक्टर भूमि, इसी चक के खाता संख्या 86 के मु.न. 20 में 3.073 हैक्टर, मु. न. 22 में 3.820 हैक्टर, मु.न. 28 में 3.176 हैक्टर, मु.न. 78/3 में 0.126 हैक्टर, मु.न. 78/12 में 0.228 हैक्टर, कुल 10.449 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में 1.720 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 113 के मु.न. 27 में 2.479 हैक्टर, मु.न. 78/15 में 0.050 हैक्टर कुल 2.529 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 2.318 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खातों में कुल 4.619 हैक्टर भूमि भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता भागीरथ की मृत्यू हो चुकी है। उक्त 4.619 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक भूमि है, जो मृतक भागीरथ को अपने पूर्वजों से विरास्तन प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि हमारे हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी भूमि है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा जन्म से है राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 5(1) राज-6 /97/10 जयपुर दिनांक 08.09.1997 अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार हैं, इसलिए वादीगण उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवा पाने का अधिकारी है एंव दावा ला पाने का अधिकारी है। और मृतक भागीरथ के नाम दर्ज उक्त 4.619 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/10-1/10 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के जन्म से अधिकारी है। मृतक भागीरथ ने अपने जीवनकाल में अपने 1/11 हिस्सा से ज्यादा भूमि का दान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सरेआम कह रहे है। कि हम मृतक भागीरथ द्वारा करवाये गए दान पत्र का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें। यदि

प्रतिवादीगण ने ऐसा किया तो मुझ वादी को ना पूरा होने वाला नूकसान होगा। वादीगण का भविष्य व जीवन बर्बाद हो जावेगा। यही वाद कारण है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। दावा पूरे न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है।

, अतः वादी द्वारा दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 151 के मु.न. 22 में 2.252 हैक्टर, मु.न. 23 में 1.518 हैक्टर, मु.न. 78/13 में 0.025 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 0.581 हैक्टर भूमि, इसी चक के खाता संख्या 86 के मु.न. 20 में 3.073 हैक्टर, मु.न. 22 में 3.820 हैक्टर, मु.न. 28 में 3.176 हैक्टर, मु.न. 78/3 में 0.126 हैक्टर, मु.न. 78/12 में 0.228 हैक्टर, कुल 10.449 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में 1.720 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 113 के मु.न. 27 में 2.479 हैक्टर, मु.न. 78/15 में 0.050 हैक्टर कुल 2.529 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 2.318 हैक्टर भूमि। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खातों में वादी व प्रतिवादीगण के पिता भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कुल 4.619 हैक्टर भूमि में से वादी को 1/10 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। व उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 तामील बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब दावा के अनुसार यह कहना गलत है कि वादगत सम्पति में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/10-1/10 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हो। वादी द्वारा हमारी माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उसका भी वादगत भूमि में हक व हिस्सा बनता है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है। काउन्टर क्लेम के अनुसार हमारे पिता जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी कुल 4.619 हैक्टर कृषि भूमि में से अपनी रजामन्दी से, बिना किसी नशे पते व बिना किसी जबर दबाव के अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 23 एफ के खाता संख्या 113 की कुल 2.318 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.138 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 03.11.2017 को वादी संख्या 1 गोपीराम के नाम हस्तान्तरित कर दी थी। उक्त उपहार पत्र उपपंजीयक कार्यालय केसरीसिंहपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 181 क्रम संख्या 201703409101119 पर पंजीबद्व किया गया। इसी प्रकार हमारे पिता भागीरथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी कृल सम्पति 4.619 हैक्टर में से अपनी रजामन्दी व सहमति से चक 23 एफ के खाता संख्या 86 की कुल 1.720 हैक्टर भूमि में से 1.138 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 15.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 रामकिशन के नाम हस्तान्तरित कर दी थी। उक्त उपहार पत्र उपपंजीयक कार्यालय केसरीसिंहपुर की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 64 में पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 201903409100354 पर पंजीबद्व किया गया। इस प्रकार हमारे पिता द्वारा 1.138 -1.138 हैक्टर भूमि उपहार स्वरूप दे दी गयी है। तथा भागीरथ के नाम शेष 2.343 हैक्टर कृषि भूमि में से 11 वारिस प्रत्येक 1/11 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवदेन है कि चक 23 एफ के खाता संख्या 113 के मु.न. 27,78/15 की कुल 2.318 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 1.138 हैक्टर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम को उपहार पत्र दिनांक 03.11.2017 के

आधार पर घोषित किया जावे। तथा चक 23 एफ के खाता संख्या 86 के मु.न. 20,22,28,78/12 की कुल 10.449 हैक्टर भूमि में से 1.138 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशन को उपहार पत्र दिनांक 15.03.2019 के आधार पर घोषित किया जावे। व भागीरथ के नाम शेष रही 2.343 हैक्टर कृषि भूमि का उसके सभी 11 विधिक वारिसान में विभाजन करते हुए हम प्रतिवादी, वादी के शेष प्रतिवादीगण व भागीरथ की पत्नि कूना देवी प्रत्येक 1/11-1/11 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। एंव अन्य कोई अनुतोष हो तो प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बंद किया गया। वादी रामचन्द्र प्रतिवादीगण गोपीराम, रामकिशन, मांगी लाल, गोमी, राधा उर्फ राधा देवी, कुन्ता उर्फ सकुतला, शानिया उर्फ सूचकी उर्फ शांति, इन्द्रा उर्फ बायली उर्फ गुड्डी, शीला उर्फ पूनम, कुन्ना देवी ने न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया दोनो पक्षो की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनामा में दोनो पक्षो के द्वारा अंकित किया गया है। कि उक्त अनवान प्रकरण में वर्णित भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम की कृषि भूमि का भागीरथ के चारों पुत्रों रामचन्द्र, गोपीराम, रामकिशन व मांगी लाल को बहिस्सा बराबर स्वामी व हकदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जाती है। तो हम शेष वारिसान को कोई आपति व एतराज नहीं होगा। यह समझौतानामा हमने बिना किसी दबाव , नशे पत्ते अपने पूर्ण विश्वास व सहमति से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर/ अगूठा निशानी करके निष्पादित कर रहे है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

बहस सुनी गई दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 151, 86, 113 में भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम दर्ज कुल 4.619 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से भागीरथ के चारों पुत्रो रामचन्द्र, गोपीराम, रामकिशन, मांगीलाल को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे, तो हम शेष प्रतिवादीण को कोई एतराज नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 151, 86, 113 में भागीरथ पुत्र केसरा राम के नाम दर्ज कुल 4.619 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से वादी रामचन्द्र पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 क्रमशः गोपी राम पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर, रामकिशन पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर, मांगी लाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व देय है या कोई राजस्व हानि है। तो सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगा। इन तीनो खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: